

मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एफ २-१/२००१/अ-ग्यारह
प्रति,

भोपाल, दिनांक /०५/२०१५

उद्योग आयुक्त,
मध्यप्रदेश।

विषय:-मान. मुख्यमंत्री जी द्वारा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस संबंधी कार्यशाला दिनांक ४ मार्च, २०१५ को की गई घोषणाओं का ग्रन्थान्वयन।

संदर्भ:-आपका पत्रक्रमांक ३५/एमएसएमई/१३/२०१५/१६४७, दिनांक २३.०४.२०१५ एवं विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ २ (२)-१-२००१-अ-ग्यारह, दिनांक ०६ दिसम्बर, २००१

—०—

निर्देशानुसार आपके उक्त विषयक संदर्भित पत्र दिनांक २३.०४.२०१५ से प्रेषित प्रस्ताव अनुसार भारतीय बॉयलर अधिनियम, १९२३ (१९२३ का सं. ५) की धारा ३४ की उपधारा (३) के अंतर्गत विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ २ (२)-१-२००१-अ-ग्यारह, दिनांक ०६ दिसम्बर, २००१ के संबंध में निम्नानुसार स्पष्टीकरण संसूचित किया जाता है :-

“बायलर मेन्टेनेन्स सेवा प्रदाता के इंजीनियर यदि मध्यप्रदेश शासन वाणिज्य और उद्योग विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ २ (२)-१-२००१-अ-ग्यारह, दिनांक ०६.१२.२००१ के नियम (१) (ख) के अनुसार योग्यता रखते हों तो उनके द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी मान्य किया जावेगा।”

(अनिल भारतीय)

उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग.

पृ०क० : एफ २-१/२००१/अ-ग्यारह

भोपाल, दिनांक ११ /०५/२०१५

प्रतिलिपि :-

- १/ संचालक, वॉष्ट यंत्र, ६० बवक्षी बाग, मध्यप्रदेश इन्डौर।
- २/ अपर/संयुक्त संचालक, परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय, मध्यप्रदेश (समर्त)।
- ३/ महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, मध्यप्रदेश (समर्त)।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग.